डा. बिनायक सेन को बिना शर्त रिहा करो।
लोक अधिकार कार्यकर्ताओं का दमन बन्द करो।

डाक्टर बिनायक सेन पिछले दो महीने से छत्तीसगढ़ की जेल में हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी, मजदूर और किसानों के स्वास्थ्य की देखभाल करने में डा. सेन ने अपनी अब तक की जिंदगी लगा दी है। वे सिर्फ उनका इलाज नहीं करते, उन हालात से भी लड़ते रहे हैं जिनकी वजह से गरीब आदिवासी, मजदूर और किसानों की सेहत पर बुरा असर पड़ता रहा है। वे ऐसे डॉक्टर हैं जो रोग की जड़ तक जाते हैं, गरीबी और भूख के कारणों की ओर इशारा करते हैं। दो महीने से पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों, जनस्वास्थ्यकर्मियों और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के आंदोलन और दबाव के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने डा. सेन को रिहा नहीं किया है। उन्हें 'खतरनाक नक्सलवादी' और 'भारतीय राज्य के लिए खतरनाक व्यक्ति' घोषित करके उनके खिलाफ राजद्रोह और राज्य के खिलाफ षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं। उन पर छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून, 2005 और गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) कानून जैसे जनविरोधी कानून लागू किए गए हैं।

डा. विनायक सेन यह देखते रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन हड़पकर, जंगल के इलाकों पर कब्जा करके उन्हें और गरीब बनाने की साजिश चल रही है। वे इलाज करने के साथ–साथ आदिवासियों को उनके हक के बारे में भी बताते रहे हैं। वे लोक स्वातंत्र्य संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ इकाई के महासचिव हैं। इस हैसियत से वे पूरे राज्य में होने वाली 'मुठभेड़ों' का सच उजागर करते रहे हैं जिससे पुलिस को बड़ी परेशानी रही है। 2005 से 'सलवा जुडूम' के नाम पर जिस तरह सरकार ने आदिवासी समाज को बांट दिया है, वे उस पर भी लगातार बोलते रहे हैं। जाहिर है, सरकार इस वजह से उन्हें चुप करने का मौका ताक रही थी। यह याद रखना भी जरूरी है कि पीयूसीएल के नेता के तौर पर डा. सेन ने कभी भी माओवादियों की हिंसक कार्रवाइयों का समर्थन नहीं किया है। पीयूसीएल माओवादियों की हिंसक राजनीति का विरोधी रहा है।

पीयूसीएल या लोक स्वातंत्र्य संगठन, डा. सेन जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ इकाई के महासचिव हैं, लोगों की नागरिक आजादी की सुरक्षा के लिए निगरानी रखने वाला राष्ट्रीय संगठन है। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण ने न्यायमूर्ति तारकुंडे के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। यह संविधान में दी गयी इज्जत के साथ जीने की आजादी, अपने विचार रखने, संगठन बनाने, विरोध प्रदर्शन करने की आजादी, धर्म का पालन करने, कानूनी ढंग से सुनवाई के अधिकार के लिए कार्य करता रहा है। रोटी पाने के हक, सर पर छत के हक, जाति, धर्म, भाषा, लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ बराबरी से जीने के हक के लिए पीयूसीएल विधानसम्मत तरीकों से कार्य करता है। पीयूसीएल सरकार की हिंसा और किसी भी दूसरी राजनीतिक हिंसा का विरोधी रहा है।

डा. बिनायक सेन क्या करते रहे हैं–

- डॉक्टर बिनायक सेन पीयूसीएल के नेता के रूप में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ों का पर्दाफाश करते रहे हैं।
- डॉ. सेन पिछले दो साल से ''सलवा जुडूम'' के नाम पर सरकारी पुलिस के हाथों आदिवासियों को गांवों से उजाड़ने, उनके बलात्कार, हत्याओं का पर्दाफाश करते रहे हैं। सरकार द्वारा संचालित 'सलवा जुडूम' के चलते लगभग साठ हजार आदिवासी अपने गांवों से विस्थापित हो गये हैं और उन्हें अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर किया जा रहा है। अनेक गांव जला दिए गए हैं। जाने कितनी औरतें बलात्कार का शिकार हुई हैं। सरकार ने 'सलवा जुडूम' चलाकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की शांति छीन ली है।

Û टाटा, एस्सार जैसी कंपनियों के द्वारा उद्योग लगाने के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के खिलाफ और उनके पुनर्वास के लिए डा. सेन आवाज उठाते रहे हैं।

Û डा. सेन ने महाराष्ट्र में खैरलांजी में दलितों पर अत्याचार को उजागर करने में काम किया।

Û डा. सेन छत्तीसगढ़ के औद्योगिक मजदूरों के शोषण के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने के लिए संघर्ष चलाते रहे हैं।

Û डा. सेन पिछले कई सालों से डॉक्टर के फर्ज को अदा करने के लिए जेलों में बंद अनेकों राजनीतिक कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते रहे हैं।

डा. सेन को छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून, 2005 और गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) कानून, 2004 के तहत गिरफ्तार किया गया; क्योंकि भारतीय दंड संहिता की सामान्य धाराओं के तहत उन पर अपराध साबित करना कठिन है। वे सारी कार्रवाई खुलेआम, कानूनी ढंग से, घोषित करके करते रहे हैं। पुलिस ने इसलिए आरोप लगाया कि डा. सेन नारायण सान्याल और मदनलाल जैसे ''खतरनाक नक्सलवादी'' नेताओं से चिट्ठी–पत्री और मुलाकात करते रहे हैं। सच यह है कि डा. सेन ने यह सबकुछ जेल अधिकारियों की इजाजत और निगरानी में किया है। ध्यान देना जरूरी है कि एक डॉक्टर के नाते वृद्ध नक्सली नेता नारायण सान्याल का इलाज करना अपराध नहीं है। हमारे यहां सभ्य समाज

में तो मौत की सजा पाए अपराधी के भी पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना राज्य का फर्ज है। ऐसी स्थिति में डा. सेन वही कर रहे थे जो एक डॉक्टर को करना चाहिए।

पुलिस कह रही है कि डा. सेन के घर से आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है। सच यह है कि कानूनन छपी किताबों, पत्रिकाओं और पर्चों का घर पर होना कोई जुर्म नहीं है। किसी भी राजनीतिक विचार को पढ़ना अथवा किसी भी राजनीतिक रूझान के साहित्य को पढ़ना हमारा कानूनी हक है और उसे जुर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए मामूली कानून की जगह पुलिस ने डा. सेन पर विशेष कानूनी धाराएं लगाईं। ये धाराएं किसी भी शांतिपूर्ण कार्रवाई को सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए खतरा बता सकती हैं।

इन धाराओं के अनुसार-

- किसी भी कानूनी गतिविधि, लेखन को सार्वजनिक व्यवस्था में बाधक बताकर गिरफ्तारी की जा सकती है।
- किसी भी गतिविधि को राजनीतिक संस्थाओं के कार्य, प्रशासन के लिए बाधक बताकर गिरफ्तारी की जा सकती है।
- किसी भी शांतिपूर्ण गतिविधि को कानून न मानने के लिए लोगों को भड़काने वाली गतिविधि ठहराकर गिरफ्तारी की जा सकती है।

दो महीने के बाद भी डा. सेन को जमानत क्यों नहीं दी जा सकी, यह बात हमारी समझ से बाहर है। क्या वे भूमिगत हो जाने वाले हैं ? क्या वे देश छोड़कर भाग जाने वाले हैं ? हमें आशंका है कि डा. सेन को जेल में बन्द रखना उन्हें और पीयूसीएल छत्तीसगढ़ को पूरी तरह निष्क्रिय कर देने की साजिश है।

डा. विनायक सेन कौन हैं !

- **डा. सेन ने देश के मशहूर मेडिकल कालेज सी एम सी (वेल्लूर) से डॉक्टरी की पढ़ाई की और वहां से स्वर्ण पदक हासिल किया।**
- **सी एम सी वेल्लूर द्वारा पॉल हैरिसन पुरस्कार से सम्मानित।**
- **1976 से 1978 तक जे एन यू में अध्यापन किया।**
- **शंकर गुहा नियोगी से प्रेरित होकर जे एन यू की नौकरी छोड़ी और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच काम करने चले गए।**
- **दल्ली-राजहरा में आदिवासियों के बीच शहीद अस्पताल की शुरूआत से जुड़े रहे।**
- **धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए क्लीनिक शुरू की।**
- **डरला-बीरगांव के मजदूरों का लगातार इलाज करते रहे।**
- **बिलासपुर-गनियारी के जनस्वास्थ्य अस्पताल के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं।**
- **जनता के रोटी के अधिकार के अभियान के नेतृत्व में रहे।**
- **छत्तीसगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 'मितानिन' को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- **पुलिस द्वारा की गई फर्जी मुठभेड़ों की जांच समितियों के सदस्य रहे।**
- **पी यू सी एल (लोक स्वातंत्र्य संगठन) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ इकाई के महासचिव हैं।**

डा. बिनायक सेन की गिरफ्तारी का विरोध करना क्यों जरूरी है ?

- लोकतंत्र की खासियत यह है कि उसमें हमेशा राज्य और सरकार की नीति और कार्रवाई पर सवाल उठाने और आंदोलन करने की आजादी रहती है। लेकिन पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि डा. बिनायक सेन जैसे सरकार के आलोचकों पर मुकदमे लादकर उन्हें गिरफ्तार करके तबाह किया जा रहा है ताकि वे राज्य की आलोचना करने की हालत में न रह पाएं।
- पिछले वर्षों में पूरे देश में आदिवासियों, किसानों को राज्य और उद्योगपतियों द्वारा तरह–तरह से उनकी जमीन से बेदखल करके उसे हड़पने की साजिश चल रही है। जगह–जगह इसके खिलाफ छोटे–बड़े आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार और उसकी पुलिस वैसे हर व्यक्ति को खामोश कर देना चाहती है जो ऐसे मामलों में गरीब जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं।
- बिनायक सेन की गिरफ्तारी के जरिये राज्य वैसे तमाम लोगों को धमकी दे रहा है जो किसी भी जगह किसी रूप में जनता के आंदोलनों से जुड़कर उनके हक के लिए काम कर रहे हैं। पर हम बताना चाहते हैं कि डा. सेन को जेल भेजकर सरकार विरोधी स्वर पर ताला लगाने में कामयाब नहीं होगी। बिनायक सेन की रिहाई का आंदोलन बढ़ता जाएगा, नागरिक आजादी की आवाज और बुलंद होगी।

हमारी मांगें हैं–

- **बिनायक सेन को रिहा करो।**
- **बिनायक सेन पर लगाए आरोप वापस लो।**
- **सलवा जुडूम बंद करो।**
- **छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून, 2005 और गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) कानून, 2004 वापस लो।**

{डा. बिनायक सेन की रिहाई के लिए नागरिक समिति, दिल्ली (125, शाहपुरजाट, नई दिल्ली–110049) की ओर से जारी}